बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
संकल्प

संचिका संख्या–5/आ0–2–109/2015– 963 पटना, दिनांक– 25/11/16

श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा के तकनीकी सलाहकार के विरूद्व श्री रवीन्द्रनाथ चौरसिया (सेवानिवृत्त), तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत IHHL एवं प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु अनियमित ढंग से अग्रिम प्रदान करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त आरोपों के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री दिसवा के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होते हैं। फलतः उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री दिसवा के विरूद्व अभिकथित आरोपों के लिए बिहार राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा के तकनीकी सलाहकार के विरूद्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 (2) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार राज्यपाल विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री गजनफर अहमद, उपनिदेशक (अन्वेषण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुख्यालय, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

3. आरोपित श्री दिसवा, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में विहित प्रावधानों के अनुसार जांच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

25/11/16

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक–5/आ0–2–109/2015– 963 पटना, दिनांक–25/11/16

प्रतिलिपिः– श्री किशुनदेव दिसवा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधेपुरा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, छपरा के तकनीकी सलाहकार, जांच संचालन पदाधिकारी/ श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री गजनफर अहमद, उपनिदेशक (अन्वेषण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मुख्यालय, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति एवं आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांक–5/आ0–2–109/2015– 963 पटना, दिनांक–25/11/16

प्रतिलिपि प्रधान सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/11/16
(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
अपर सचिव